उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग -6

संख्या- 01/2021/39 /77-6-21-एल0सी0-04/18 टी0सी0

लखनऊः दिनांक 05 जनवरी, 2021

कार्यालय - ज्ञाप

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के वर्तमान प्राविधानों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या-2791/77-6-2018-एल.सी. 4/18, दिनांक 06 जुलाई, 2018 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के क्रियान्वयन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली के प्रस्तर 2.21 तथा नियमावली के अनुलग्नक-1 के क्रम संख्या-8 में निम्नवत् संशोधन किया जाता हैः-

प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
2.21	''सक्षम प्राधिकारी (कॉम्पिटेण्ट ॲथारिटी)'' से तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी (ॲथारिटी) से है, जिनके द्वारा मानचित्र को अनुमोदित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (ॲथारिटी) उपलब्ध न हो तो नोडल संस्था द्वारा किया जाएगा।	''सक्षम प्राधिकारी (कॉम्पिटेण्ट ॲथारिटी)'' से तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी (ॲथारिटी) से है, जो संबंधित परियोजना क्षेत्र में मानचित्र अनुमोदित हेतु करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत है।

अनुलग्नक-1

क्र0 सं0	वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
8.	''लॉजिस्टिक्स पार्क अथवा लॉजिस्टिक्स इकाई की स्थापना के लिए पंजीकरण या अनुज्ञापत्र''	''लॉजिस्टिक्स पार्क अथवा लॉजिस्टिक्स इकाई की स्थापना के लिए पंजीकरण या अनुज्ञापत्र'' के रूप में उद्योग आधार, डी.आई.सी. द्वारा निर्गत पंजीकरण पत्र इत्यादि स्वीकार्य किए जाएंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- कार्यालय ज्ञाप संख्या-2791/77 -6-2018-एल.सी. 4/18, दिनांक 06 जुलाई, 2018 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के क्रियान्वयन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06 जुलाई, 2018 की शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेगें।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 01/2021/39 /77-6-21-एल0सी0-04/18 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्राधिकार प्राप्त समिति के मा0 सदस्यगण।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-6 ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in